न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं. Gcms No. 2022/266
दायरा तिथि : 11-07-22
आदेश दिनांकः 11-07-22

प्रार्थी :–
राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंहजी जाति राजपुत
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक : 11-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 450/1, 452/1 रकबा 1.3400 हैक्टर में **दर्ज अपने नाम राजुसिंह पुत्र विजयसिंह को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये अपना **सही व वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जान का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व मतदाता कार्ड आदि की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह होने** से अन्य सरकारी दस्तावेजो में दर्ज सही एवं वास्तविक नाम के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि धणी के खसरा नंबर 450/1, 452/1 रकबा 1.3400 हैक्टर में भी **राजूसिंह पुत्र विजयसिंह की बजाय सही व वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज किये जाने** की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व मतदाता कार्ड में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजन्द्रसिंह पुत्र विजयिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही भूमि धणी के खसरा नंबर 450/1, 452/1 रकबा 1.3400 हैक्टर में राजूसिंह पुत्र विजयसिंह नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारित की जा कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम राजुसिंह पुत्र विजयसिंह** दर्ज होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का सही व **वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह** होने से धारित कृषि भूमि में भी राजूसिंह पुत्र विजयसिंह की बजाय सही व वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 450/1, 452/1 रकबा 1.3400 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम राजूसिंह पुत्र विजयसिंह** की बजाय प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपुत** दुरस्ती के जरिये दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 11-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner